E-mail/upload
17.03.17

बिहार सरकार

अन0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

संoसंo–6/निदे0–VKY-21-05/2016- 110

प्रेषक,

वीरेन्द्र कुमार,
निदेशक।

सेवा में,

जिला कल्याण पदाधिकारी,
सारण/गोपालगंज/कैमूर/जुमई/रोहतास/बॉका/
भागलपुर/सिवान/बक्सर/पूर्णियां/
कटिहार/किशनगंज/अररिया।

पटना, दिनांक– 17.03.17

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2016–17 में भारत सरकार द्वारा वनवन्धु कल्याण योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जनजातियों के बहुमुखी विकास के लिए वर्ष 2015–16 में अतिरिक्त अनुदान के रुप में प्राप्त कौशल विकास योजना के तहत होटल मैनेजमेंट,फिजियोथेरेपी, पारामेडिक्स, नर्सीग, कम्पाउण्डर के लिए कुल ₹200.00 लाख (दो करोड़) मात्र का आवंटन।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार ने स्वीकृत्यादेश सं0–82 दिनांक–25.01.2017 द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 में भारत सरकार द्वारा वनवन्धु कल्याण योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जनजातियों के बहुमुखी विकास के लिए वर्ष 2015–16 में अतिरिक्त अनुदान के रुप मे प्राप्त रु0 450.00 लाख (चार करोड़ पचास लाख रुपये) की स्वीकृति प्रदान की गयी है के कम में कौशल विकास योजना के तहत होटल मैनेजमेंट, फिजियोथेरेपी, पारामेडिक्स, नर्सीग, कम्पाउण्डर के लिए ₹200.00 लाख (दो करोड़ रू0) मात्र **संलग्न विवरणी** के अनुसार आवंटित की जाती हैं।

2–अनु0 जनजाति के लिए भारित व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016–17के लिए उपबंधित राशि से केन्द्रीय योजनागत योजना मांग सं0–44 के अन्तर्गत आय–व्ययक शीर्ष 2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण–उपमुख्य शीर्ष –02–अनुसूचित जनजातियों का कल्याण –लधु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना–उपशीर्ष–0427–वनवन्धु कल्याण योजना विपत्र कोड–S2225027960427–द्वितीय अनुपूरक आगणन के तहत विषय शीर्ष–2003 में कुल ₹200.00 लाख(दो करोड़ रू0) विकलनीय होगा।

3– इस योजना के लिए निकासीएवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी होंगे। इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी संबंधित जिला पदाधिकारी होंगे।

4– निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सरकार द्वारा निर्धारित प्रकिया के अनुसार व्यय के लेखा का मिलान महालेखाकार द्वारा संधारित लेखा के साथ करेगें। साथ ही उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार को समर्पित करेगें।

5– ***कौशल विकास कार्यक्रम/प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिये श्रम संसाधन विभाग द्वारा पूरे राज्य के लिये राज्य कौशल नीति का सुत्रण किया जा रहा है एवं विभिन्न कौशल विकास योजनाओं की मानक प्रक्रिया, दर क्या होगी तथा किस एजेंसी के माध्यम से प्रशिक्षण कराया जायेगा, यह समेकित रूप से निर्धारित किया जा रहा है।***

अतः कौशल विकास कार्यकम/ प्रशिक्षण के लिये कर्णांकित राशि का व्यय श्रम संसाधन विभाग द्वारा चयनित एजेन्सी तथा दिशा–निर्देश प्राप्त कर प्रशिक्षण कार्य सुनिश्चित किया जायेगा।

5. वित्तीय वर्ष 2015–16 में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत योजनाओं में से मंत्रालय के पत्रांक–17014/18(08)/2015–SG-II, दिनांक–05.02.2016 द्वारा विमुक्त 450.00 लाख के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2016–17 में ₹200.00 लाख आवंटित की जा रही है। इस राशि का व्यय राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अन्य परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में किया जायेगा तथा किसी भी स्थिति में राशि का विचलन नही किया जायेगा।

6– राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के द्वारा निर्गत परिपत्र पत्रांक–2561 दिनांक–17.04.1998 तथा समय–समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में की जायेगी।

7– सभी संबंधित जिला पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे की विषयांकित योजना के आलोक में राशि का व्यय किया जाय, साथ ही यह भी सुनिश्चित करेंगे कि ली गयी योजनाओं एवं लाभान्वितों का डूप्लीकेशन न हो।

8–संबंधित पदाधिकारियों को इस राशि के आवंटन की सूचना दी जा रही है।

9–कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दिया जाय।

विश्वासभाजन

(वीरेन्द्र कुमार)
निदेशक।

ज्ञापांक –6/निदे0–VKY-21-05/2016- 110 पटना, दिनांक–17.03.17

प्रतिलिपि :–सभी संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक।

ज्ञापांक –6/निदे0–VKY-21-05/2016- 110 पटना, दिनांक–17.03.17

प्रतिलिपि :–महालेखाकार, बिहार/वित्त विभाग, बजट शाखा/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/सचिव, अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/सभी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/ सभी संबंधित उपविकास आयुक्त/उप निदेशक(मु0)/ सभी संबंधित प्रमंडलीय उपनिदेशक, कल्याण/अवर सचिव/सहायक निदेशक, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/लेखा शाखा/बजट शाखा/सांख्यिकी कोषांग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6(डी0)/8(डी0) अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

निदेशक

वर्ष 2016–17 में अनुसूचित जनजातियों के बहुमूखी विकास हेतु वनवन्धु कल्याण योजना (VKY) के अन्तर्गत आवंटित राशि की विवरणी

कमांक	जिला का नाम	2011 जनगणना के अनुसार जिलावार अनु0 जनजातियों की जनसंख्या	कौशल विकस योजना (होटल मैनेजमेंट, फिजियोथेरेपी, पारामेडिक्स, नर्सींग, कम्पाउण्डर) विषय शीर्ष –2003, विपत्र कोड–S2225027960427
1	2	3	4
1	सारण	36786	766386
2	गोपालगंज	60807	1266831
3	कैमूर	57981	1207955
4	जमुई	78793	1641545
5	रोहतास	31650	659385
6	बॉका	90432	1884027
7	भागलपुर	67180	1399604
8	सिवान	87000	1812526
9	बक्सर	26824	558841
10	पूर्णियां	139490	2906084
11	कटिहार	179971	3749451
12	किशनगंज	64224	1338020
13	अररिया	38848	809345
	कुल योग	**959986**	**20000000**

निदेशक 16/3/17

अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति
कल्याण विभाग

ज्ञापांक– 110 दिनांक 17.03.17 का अनुलग्नक